

कार्यालय जिला न्यायाधीश, महाराजगंज**प्रशासनिक आदेश संख्या- 26 /2026****आदेश**

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-486/Admin. (E-I) Section/XC-4/2026/
Dated: Allahabad: 13.01.2026 द्वारा दिनांक 15-01-2026 (गुरुवार) को 'मकर संक्रान्ति' पर्व का अवकाश घोषित कर उसके एवज में किसी चतुर्थ शनिवार को न्यायालय कार्य दिवस घोषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः, उक्त निर्देश के अनुपालन में निम्नवत आदेशित किया जाता है :-

- 1- पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेश संख्या-19/2026 दिनांकित 06-01-2026 द्वारा जिला न्यायालय, महाराजगंज के अन्तर्गत सभी न्यायालयों में दिनांक 15-01-2026 (गुरुवार) को 'मकर संक्रान्ति' पर्व का पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है।
- 2- दिनांक 15-01-2026 (गुरुवार) को 'मकर संक्रान्ति' का पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त हो जाने के कारण जिला न्यायालय, महाराजगंज के अन्तर्गत सभी न्यायालयों में दिनांक 07-03-2026 (शनिवार) को 'होली (स्थानीय)' पर्व का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।
- 3- दिनांक 15-01-2026 (गुरुवार) को 'मकर संक्रान्ति' का अवकाश घोषित हो जाने के कारण उक्त के एवज में जिला न्यायालय, महाराजगंज के अन्तर्गत सभी न्यायालयों में दिनांक 28-11-2026 (चतुर्थ शनिवार) को न्यायालय कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में पारित प्रशासनिक आदेश संख्या-02/2026, दिनांकित 02-01-2026 एवं प्रशासनिक आदेश संख्या-19/2026 दिनांकित 06-01-2026 को मात्र उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है और शेष आदेश यथावत रहेगा।

दिनांक 07-03-2026 (शनिवार) को 'होली (स्थानीय)' पर्व का स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने के कारण, उक्त दिनांक को पूर्व नियत समस्त वादों को अगले कार्य दिवस में सुनवाई हेतु लिया जाएगा तथा रिमाण्ड कार्य एवं गिरफ्तार किये गए अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना-पत्रों की सुनवाई एवं उनका विधिनुसार निस्तारण, अवकाश/छुट्टियों की अवधि में होने वाली सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महाराजगंज द्वारा अधिकृत रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

इस आदेश की प्रति को जनसामान्य के सूचनार्थ अधिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट एवं सूचना-पट्टों पर प्रदर्शित किया जाय तथा जिला सूचना अधिकारी, महाराजगंज के माध्यम से यथासम्भव सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जाय।

तदनुसार सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

दिनांक: 13-01-2026

31/1/26
जिला न्यायाधीश,
महाराजगंज।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01- प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, महाराजगंज।
- 02- पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महाराजगंज।
- 03- जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज।
- 04- पुलिस अधीक्षक, महाराजगंज।
- 05- समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण/अनुभागों के प्रभारी अधिकारीगण, जिला न्यायालय, महाराजगंज।
- ✓ 06- नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), जिला न्यायालय, महाराजगंज।
- 07- संयुक्त निदेशक, अभियोजन, महाराजगंज।
- 08- अधीक्षक, जिला कारागार, महाराजगंज।
- 09- जिला सूचना अधिकारी, महाराजगंज को सर्वसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 10- अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, महाराजगंज।
- 11- अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, फरेन्दा, महाराजगंज।
- 12- सर्वसाधारण के सूचनार्थ अधिष्ठान के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किए जाने हेतु।

दिनांक: 13-01-2026

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जिला न्यायालय, महाराजगंज।